भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 440

मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में नए उद्योगों और विनिर्माण इकाइयों की स्थापना

440. डॉ॰ अमोल रामसिंग कोल्हे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र में, विशेषकर चाकन, रंजनगांव और खेड़ औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने नए उद्योग और विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ख) इन नई इकाइयों से रोजगार के कुल कितने अवसर सृजित हुए हैं और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इन अवसरों का अधिकतम लाभ वहां के स्थानीय युवाओं को मिले;

(ग) राज्य में और अधिक निवेश लाने और हाल की आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की क्या रणनीति है; और

(घ) शिरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए उद्योगों को दिए गए विशेष पैकेज या प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): 'उद्योग' राज्य का विषय है। हालांकि, भारत सरकार महाराष्ट्र सहित पूरे देश में औद्योगिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और केन्द्र सरकार के अन्य विभागों के माध्यम से, उचित नीतिगत कार्यकलापों के जरिए देश के समग्र औद्योगिक विकास हेतु एक सक्षम ईकोसिस्टम प्रदान करती है।

औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए कई अन्य पहलें की हैं जैसे मेक इन इंडिया अभियान, स्टार्ट अप इंडिया, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय

औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस (ईओडीबी), राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), एफडीआई नीति का उदारीकरण, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण स्कीम (उन्नति-2024) और भारतीय फुटवियर एवं चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) आदि शामिल हैं, जो महाराष्ट्र सहित देशभर में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करती हैं।

केंद्र सरकार, वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन अथवा किसी सेवा या सेवाओं को उपलब्ध या प्रदान करने का कार्य करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन और विकास तथा सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम स्कीम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के कार्य निष्पादन को बढ़ाना और गति देना, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम आदि शामिल हैं।

भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय विभिन्न स्कीमों जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से महाराष्ट्र के शिरूर निर्वाचन क्षेत्र सहित देशभर में समाज के सभी वर्गों को शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रदान करने, पुनः कौशल प्रदान करने और कौशल बढ़ाने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों में चाकन, रंजनगांव और खेड़ औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों की कुल 215 विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

चाकन उद्योग क्षेत्र - 117
रंजनगांव औद्योगिक क्षेत्र - 66
खेड़ सिटी एरिया-32

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि इन इकाइयों द्वारा चाकन, रंजनगांव और खेड़ औद्योगिक क्षेत्रों में 25,551 लोगों हेतु प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, निवेश को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं:

(i) इग्नाइट (समावेशी परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए उद्योग - सरकार की नेटवर्किंग) महाराष्ट्र।
(ii) निर्यात कॉनक्लेव
(iii) जिला निवेश शिखर सम्मेलन।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई क्षेत्रगत नीतियों नामत: बांस उद्योग नीति; वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति; सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी/आईटीईएस) नीति; रत्न और आभूषण नीति; लॉजिस्टिक्स नीति; एनीमेशन, विजुअल एफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रीएलिटी नीति आदि की घोषणा की है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज स्कीम, क्लस्टर विकास स्कीम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी) भी शुरू किए हैं, जो एमएसएमई के उत्थान और प्रोत्साहन में मदद करते हैं।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि सभी जिलों में सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसियों (एमसीईडी और मिटकॉन) द्वारा विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है। इन उम्मीदवारों को विभिन्न सरकारी स्कीमों जैसे प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (पीएसआई), पीएमईजीपी, सीएमईजीपी और जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) ऋण स्कीम इत्यादि के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

*****